प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 646 / 2022

अनवान : –

1. कपिल कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. कृष्णलाल पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
2. मंजू ढकरवाल पुत्री कृष्ण कुमार पत्नी दक्ष जाति जाट निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर हाल निवास फरीदाबाद तहसील व जिला फरीदाबाद।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 19.06.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 42 / 41 की कुल 16.3260 हैक्ट भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा गंगाराम पुत्र मोटाराम की अर्जित भूमि है। जिसके वे खातेदार काश्तकार थे उनकी फौतदगी के बाद उक्त वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज हुई। वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है।

प्रतिवादीया स0 2 जो की वादी की बहिन है तथा प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी स0 1 के पक्ष मे परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 42 / 41 की कुल 16.3260 हैक्ट भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि यानि 4.0815 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 2.8165 हैक्ट व प्रतिवादी स0 1 अकेला 1.265 हैक्ट का मुश्तरका खातेदार काश्तकार है। वादी उक्त आशय की घोषणा करवा पाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:59:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 2 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 42/41 की कुल 16.3260 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 व 2 को कोई एतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीया स0 2 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:59:18 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 42/41 की कुल 16.3260 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि यानि 4.0815 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि में से 2.8165 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 1.265 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। I इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट– चक सरदारपुरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:59:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 646/2022

अनवान : –

1. कपिल कुमार पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. कृष्णलाल पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
2. मंजू ढकरवाल पुत्री कृष्ण कुमार पत्नी दक्ष जाति जाट निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर हाल निवास फरीदाबाद तहसील व जिला फरीदाबाद।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 646 सन 2022 निर्णय दिनांक 19.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति तथा वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 42/41 की कुल 16.3260 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि यानि 4.0815 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि में से 2.8165 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 1.265 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। I इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक ...19/6/23... को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–चक सरदारपुरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:59:18 IST
Reason: SelfAttested